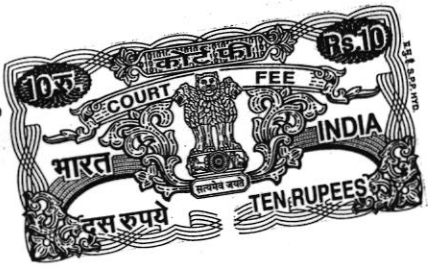

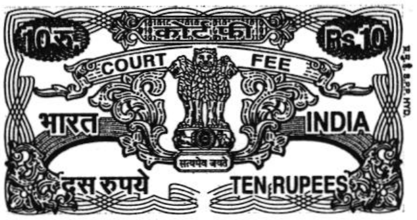

(34)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक– –1/2017 विविध I/विविध/टीकमगढ़/भू.रा.सं./2017/1920

1. मीरा पत्नी स्व.बलदेव प्रसाद
2. रामकिशन 3. नंदराम पुत्रगण बल्देव प्रसाद
4. चन्नू 5. मुकंदीलाल पुत्रगण डरू कुम्हार
निवासीगण मछुआबाग तहसील–पृथ्वीपुर जिला टीकमगढ———— आवेदकगण

दिनांक 27-6-17 को श्री ... द्वारा प्रस्तुत।
27-6-17

विरूद्ध

1. मध्यप्रदेश शासन
2. अमान तनय हिरउ काछी
निवासी ग्राम– मछुआबाग तहसील–पृथ्वीपुर जिला– टीकमगढ
3. गेंदाबाई पुत्री डरू कुम्हार पत्नी प्रभूदयाल
निवासी ग्राम– लिथोरा तहसील एवं जिला–टीकमगढ

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा–32 म.प्र. भू–राजस्व संहिता एवं धारा–152 व्यवहार प्रक्रिया संहिता.

महोदय,

आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है–

1. यह कि, आयुक्त सागर संभाग के आदेश में पक्षकारो के नाम एवं भूमि के सर्वे क्रमांक त्रुटिपूर्ण अंकित हो जाने पर आयुक्त के समक्ष उनके सुधार के लिये आवेदन दिया गया था परंतु आयुक्त ने आवेदन को स्वीकार नहीं किया।

Belapurkar 27/6/17

2. यह कि, आयुक्त के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसमें मात्र पक्षकारो के नाम एवं सर्वे क्रमांको की त्रुटि को सुधारने की प्रार्थना की गयी थी इस न्यायालय ने दिनांक 12/01/2017 को पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत किया एवं आवेदकगण ने जो राहत चाहीं थी वो प्रदान की है।

3. यह कि, इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश में भी टाईपिंग की त्रुटियां दो स्थानों पर हुयी है जो इस प्रकार है–

(3)

(1) आदेश के पद–8 में आवेदक क्रमांक–2 चुन्नू लिखा गया है जबकि उसका सहीं नाम चन्नू है।

(2) आदेश के पद–8 में ही आवेदकगण बलदेव चन्नू एवं मुकुन्दीलाल का पिता का नाम दरउ के स्थान पर दरू लिखा जाना आदेशित किया गया हे जबकि पिता का सही नाम ... है। ... बेटा ... की जगह ... बेटा डरू कुम्हार किया जाना

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक / विविध / टीकमगढ / भू.रा. / 2017 / 1920 **जिला** – टीकमगढ

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05.12.2017	उभयपक्षों के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा इस न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक निगरानी–1023–एक / 2001 में पारित आदेश दिनांक 12.01.2017 में हुई टाइपिंग की त्रुटियों को इंगित करते हुए बताया गया है कि उक्त आदेश के पैरा–8 में आवेदक क्रमांक 2 चुन्नू लिखा गया है, जबकि सही नाम चन्नू है। यह भी बताया गया है कि पैरा–8 में ही आवेदकगण बलदेव, चन्नू एवं मुकन्दीलाल के पिता का नाम दरू लिखा जाना आदेशित किया गया है, जबकि सही नाम डरू है। इसी प्रकार हलकन बेवा डरू कुम्हार के स्थान पर हलकन बेवा डरू कुमार अंकित हो गया है, जिसे सुधारा जाना आवश्यक है। अतः इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.01.2017 के पैरा 8 में आवेदकगण चुन्नू के स्थान पर चन्नू, दरू के स्थान पर डरू एवं हलकन बेवा डरू कुमार के स्थान पर हलकन बेवा डरू कुम्हार पढ़ा जाए। आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताई गई उक्त त्रुटियों की पुष्टि उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से होती है । अनावेदक अधिवक्ता को भी उक्त त्रुटि सुधार किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है । अतः उक्त आवेदन स्वीकार करते हुए आदेश में चुन्नू के स्थान पर चन्नू, दरू के स्थान पर डरू एवं हल्कन बेवा डरू कुमार के स्थान पर डरू कुम्हार पढ़े जाने के आदेश दिए जाते हैं । यह आदेश उक्त आदेश का अंग रहेगा । उक्त निर्देश के साथ यह प्रकरण समाप्त किया जाता है । पक्षकार सूचित हों। प्रशासकीय सदस्य	